न्यायालय– नवम अपर सत्र न्यायाधीश, सागर (म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारीः–राजेश सिंह)

CRR Case No.	**CRR/25/2025**
CNR No.	***MP1501-001623-2025***
Filing No.	**CRR/1209/2025**
Filing Date	**07-02-2025**

01. ममता चौरसिया आयु 49 वर्ष पत्नि लक्ष्मण चौरसिया
निवासी– डॉ. पाठक के आगे, राजघाट रोड, तिली वार्ड, तहसील व जिला सागर म0प्र0
02. वंदना चौरसिया आयु 48 वर्ष पत्नि सुशील चौरसिया
निवासी– सोमनाथपुरम कालोनी, बाघराज वार्ड, तहसील व जिला सागर म0प्र0

.....पुनरीक्षणकर्तागण

–:: विरूद्ध ::–

01. विनोद कुमार साहू आयु लगभग 65 वर्ष पिता रतनचंद जैन
निवासी– बाहूबली कालोनी, तहसील व जिला सागर म0प्र0
02. मनीषा शांडिल्य आयु लगभग 45 वर्ष पत्नि राकेश
निवासी– दीनकुटी परकोटा, तहसील व जिला सागर म0प्र0
03. सैन्धी शांडिल्य आयु लगभग 42 वर्ष पत्नि अवधशरण
दीनकुटी परकोटा, तहसील व जिला सागर म0प्र0
04. रामकुमार घोषी आयु 34 वर्ष पिता राजकुमार घोषी
निवासी– ग्राम कनेरादेव, तहसील व जिला सागर म0प्र0

.....प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण

विद्वान विचारण न्यायालय– अनुविभागीय दंडाधिकारी, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 05/2024 (विनोद विरूद्ध ममता व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 19.07.2024 से उदभूत।

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा श्री नितीष जायसवाल अधिवक्ता।
प्रतिपुनरीक्षणकर्ता सैन्धी द्वारा श्री मनीष वर्मा अधिवक्ता।
प्रतिपुनरीक्षणकर्ता मनीषा द्वारा श्री आर.एन.भट्ट अधिवक्ता।
प्रतिपुनरीक्षणकर्ता रामकुमार द्वारा श्री मनीष दुबे अधिवक्ता।
प्रतिपुनरीक्षणकर्ता विनोद द्वारा श्री महेंद्र कुमार पाटकर अधिवक्ता।

//आदेश//

(आज दिनांक – 07/10/2025 को पारित)

1. आवेदकगण ने यह दांडिक पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 438, 440 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में आलोच्य आदेश दिनांक 19.07.2024 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

2. पुनरीक्षणकर्तागण की याचिका संक्षेप में यह है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 19.07.2024 दं0प्र0सं0 की धारा 145 की परिधि के बाहर है, जिसके कारण आलोच्य आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। दं0प्र0सं0 की धारा 145 के प्रावधान के अनुसार पक्षकारों में से किसी के भी कब्जे में रखने के अधिकार के गुणागुण या दावे के प्रति निर्देश किये बिना उन कथनों का जो कि पेश किये गये हैं परिशीलन करेगा, पक्षकारों को सुनेगा और ऐसी समस्त साक्ष्य लेगा जो उनके द्वारा प्रस्तुत की जाये और उसके आधार पर विनिश्चित करेगा कि उन पक्षकारों में से कौन विवाद की विषय वस्तु पर उपधारा (1) के अधीन आदेश की तारीख पर या उस तारीख को जब मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को रिपोर्ट प्राप्त होने की दिनांक के ठीक पूर्व दो मास के अंदर बलात या सदोष रूप से कब्जा किया गया है तो यह माना जायेगा कि उपधारा (1) के अधीन आदेश की तारीख को कब्जा रखता था। इस उक्त प्रावधान के विपरीत त्रुटिपूर्ण आलोच्य आदेश पारित किया गया है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय ने प्रकरण में किसी भी प्रकार की कोई साक्ष्य नहीं ली और सीधा ही राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट पर आलोच्य आदेश पारित कर दिया जो कि गलत है। आलोच्य आदेश पारित करने के पूर्व दिनांक 01.07.24 को प्रकरण पटवारी के मौका जांच प्रतिवेदन के लिये नियत थी। दिनांक 01.07.24 को पीठासीन अधिकारी के अन्य शासकीय कार्य में व्यस्त होने के कारण प्रकरण को पूर्ववत बढाया गया और आगामी पेशी दिनांक 05.08.24 के लिये नियत

की गयी। पुनरीक्षणकर्ता जब दिनांक 05.08.24 को पेशी पर गये तो फाईल नहीं मिल रही है एक हफ्ते बाद आना कहकर टाल दिया गया। पुनरीक्षणकर्ता बार–बार प्रकरण की जानकारी करने के लिये विचारण न्यालालय गये लेकिन प्रकरण की कोई जानकारी नहीं दी गयी। पुनरीक्षणकर्ता ममता एवं उसके पति लक्ष्मण चौरसिया ने दिनांक 05.01.25 को जब प्रकरण की जानकारी लेने विचारण न्यायालय के बाबू के पास गये तो बडी मुश्किल से फाईल मिली तो ज्ञात हुआ कि विचारण न्यायालय ने पक्षपात करते हुये दिनांक 01.07.24 को ही आदेश पत्रिका में आगामी तारीख में कांटछांट करते हुये पुनश्च लेख की जाकर राजस्व निरीक्षक से रिपोर्ट प्राप्त होना बताकर प्रकरण को 19.07.24 को आदेशार्थ नियत कर दिया जिसकी सूचना पुनरीक्षणकर्ता को नहीं दी गयी और न ही प्रकरण में उभयपक्ष की कोई साक्ष्य ली गयी। विद्वान विचारण न्यायालय ने पक्षपातपूर्ण तरीके से आलोच्य आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

3. प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण की ओर से पुनरीक्षण याचिका का मौखिक रूप से विरोध करते हुए व्यक्त किया है कि विद्वान विचारण न्यायालय अनुविभागीय दंडाधिकारी, सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.07.2024 में कोई त्रुटि कारित नहीं की है। अतः पुनरीक्षण याचिका निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

4. **अब विचारणीय प्रश्न यह है कि :–**

''क्या विद्वान विचारण न्यायालय अनुविभागीय दंडाधिकारी, जिला सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.07.2024 वैद्यता, शुद्धता व औचित्य के अभाव में अपास्त किये जाने योग्य है''?

<u>– सकारण निष्कर्ष –</u>

5. विद्वान विचारण न्यायालय, अनुविभागीय दंडाधिकारी, जिला सागर के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6. उभयपक्ष के तर्क पर विचार किया गया।

7. **<u>In Bhinka Vs charan singh AIR 1959 SC 960</u>** Hon. Supreme Court Held that "The purpose of the section 145 and allied provisions is (1) to prevent a breach of the peace, (2) to decide as to who was in possession in fact on the date of the

preliminary order, and (3) to settle the matter temporarily by maintaining status Quo until the rights are determined by a Competent Court."

8. धारा 145(4) दं.प्र.सं. के प्रावधान से यह स्पष्ट है कि ''कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह निर्णय करना चाहिये कि कौनसा पक्षकार 145(1) के आदेश करने के दिनांक को विवाद की विषय वस्तु पर कब्जे में था। 145(4) दं.प्र.सं. के परंतुक के अनुसार यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि कोई पक्षकार को उस तारीख के, जिसको पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य इत्तिला मजिस्ट्रेट को प्राप्त हुई, ठीक पूर्व 2 मास के अंदर या उस तारीख के पश्चात और उपधारा (1) के अधीन आदेश की तारीख के पूर्व बलात और सदोष रूप से बेकब्जा किया गया है तो वह यह मान सकेगा कि उस प्रकार बेकब्जा किया गया पक्षकार उपधारा (1) के अधीन उसके आदेश की तारीख को कब्जा रखता था।''

9. प्रकरण में संलग्न राजस्व निरीक्षण के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया जिसमें उल्लेखित किया गया है कि ''मौके पर उपस्थित अनावेदक पक्ष की ओर से कहा गया कॉलम निर्माण हमारे द्वारा कराये गये थे परंतु निर्माणाधीन स्थिति में स्थगन आदेश पर निर्माण कार्य को रोक दिया गया तथा आवेदक की ओर से मोहन चौरसिया द्वारा बताया गया कि प्री–कास्ट बाउंड्री वॉल विनोद चौरसिया के द्वारा बनाई गयी है''। उपरोक्त राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट नहीं है कि वादग्रस्त प्लाट पर किसका कब्जा है। इन परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी को उभयपक्षों को धारा 145(4) दं.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुरूप कब्जे के संबंध में उभयपक्षों का साक्ष्य लेकर कब्जे का निर्धारण करना चाहिये था जो नहीं किया गया है।

10. उपरोक्त सम्मानित न्यायदृष्टांत एवं विधिक प्रावधान से यह स्पष्ट है कि 145 दं.प्र.सं. का उद्देश्य दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट या अन्य सूचना प्राप्त होने के दिनांक को विवादित भूमि पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति या उक्त दिनांक से 2 माह पूर्व तक की अवधि में बेकब्जा किये गये व्यक्ति के कब्जे को संरक्षित करना है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19.07.2024 में सुसंगत दिनांकों पर विवादित भूमि किसके कब्जे में थी, पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया है।

11. विद्वान विचारण न्यायालय अनुविभागीय दंडाधिकारी, जिला सागर के दांडिक प्रकरण क्रमांक 05/2024 की आदेश पत्रिका दिनांक 28.05.24 से

प्रकट होता है कि प्रकरण कब्जा संबंधी साक्ष्य प्रस्तुति एवं पटवारी मौका जांच प्रतिवेदन प्रस्तुति हेतु दिनांक 01.07.24 के लिये नियत किया गया था परंतु दिनांक 01.07.24 को पीठासीन अधिकारी अन्य शासकीय कार्य में व्यस्त होने से प्रकरण पूर्ववत बढाया गया परंतु किस दिनांक के लिये बढाया गया उस दिनांक में कांटछांट की गयी है जिससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि प्रकरण किस दिनांक के लिये नियत किया गया तत्पश्चात पुनश्च में राजस्व निरीक्षण का प्रतिवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण दिनांक 19.07.24 को आदेशार्थ नियत किया गया परंतु दिनांक 19.07.24 को आदेश के संबंध में आदेश पत्रिका पर कुछ नहीं लिखा गया है कि आदेश पारित किया गया कि नहीं किया गया। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय ने उभयपक्षों को कब्जा संबंधी साक्ष्य हेतु सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और न ही पटवारी प्रतिवेदन के आने का इंतजार किया गया, केवल राजस्व निरीक्षक एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर दिनांक 19.07.24 को आदेश पारित किया गया है परंतु आदेश पारित किये जाने का उल्लेख आदेश पत्रिका में नहीं किया गया है यद्यपि दं.प्र.सं. की धारा 145 के अंतर्गत जो कार्यवाही होती है वह संक्षिप्त प्रकृति (Summary nature) की होती है, किंतु उक्त कार्यवाही में भी न्यायिक सुचिता का ध्यान रखा जाना आवश्यक होता है।

12. उक्त समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये विद्वान विचारण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, जिला सागर का आदेश दिनांक 19.07.2024 वैध एवं शुद्ध न होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है तथा पुनरीक्षण याचिका **स्वीकार** की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 19.07.2024 **अपास्त** किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षों को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधि अनुसार कार्यवाही कर आदेश पारित करें।

13. आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख संबंधित विचारण न्यायालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु वापस भेजा जावे।

दिनांक –07.10.2025 मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

स्थान– सागर

(राजेश सिंह)
नवम अपर सत्र न्यायाधीश,
सागर (म.प्र.)

प्रतिलिपिः–

विद्वान विचारण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राजेश सिंह)
नवम अपर सत्र न्यायाधीश
जिला सागर म0प्र0

RAJESH SINGH

Digitally signed by RAJESH SINGH
Location: "I attest to the accuracy and authenticity of this document."